छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010
(चैत्र-2, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 तथा 06 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न क्रमाक 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य के स्थान पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे। प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 42 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीगसढ़ लोक सेवा आयोग का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के लिए)
पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, भजन सिंह निरंकारी, परेश बागबाहरा, सदस्य ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों एवं इनके परिसर का अन्य कार्यक्रमों के लिये उपयोग किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर शहर के अंदर से जाने वाली नहरों पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले एकमात्र राजमार्ग में क्रांक्रीटीकरण न किये जाने, तथा

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने महासमुंद जिले के अंतर्गत लो-वोल्टेज की समस्या होने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल,वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया की उन्होंने छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(2) छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित कियाः-

1.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010)	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010)	30 मिनट

7. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 एवं बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 38 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, ह्दयराम राठिया, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-2 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-6 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, ह्दयराम राठिया, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-31 पर** महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-60 पर** महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-12 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, अमितेश शुक्ल, डॉ.शक्राजीत नायक, परेश बागबाहरा, लेखराम साहू, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री चैतराम साहू, देवेन्द्र बहादुर सिंह, ह्दयराम राठिया, **मांग संख्या-25 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्रीमती अम्बिका मरकाम, श्री चैतराम साहू, श्री ह्दयराम राठिया, **मांग संख्या-32 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-71 पर** श्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-65 पर** महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-11 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, भोलाराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, फूलचंद सिंह,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लखमा कवासी, वीरेन्द्र कुमार साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, देवजी पटेल, परेश बागबाहरा, नारायण चंदेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

8.सदन के समय में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर 3 घंटे 30 मिनट का समय सदन द्वारा निर्धारित किया गया। नियम 153(2) के अंतर्गत 4.00 बजे तक का समय अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए निर्धारित है किन्तु अभी भी कुछ सदस्यों को अपनी बात रखनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर भी आना है। समस्त सदस्य चर्चा में हिस्सा लें सकें अत: वे नियम 153(2) को शिथिल कर रहे हैं ताकि समस्त सदस्यों की बातें आ सकें व माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर भी आ जाये।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

9. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री अग्नि चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री दयालदास बघेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री भीमा मण्डावी, भजन सिंह निंरकारी, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

10. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री गोपाल व्यास, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सदस्य उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

11. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) का पुर:स्थापन किया ।

सायं 6.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 (चैत्र 4, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा